

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची ।

दिनांक-21वीं नवम्बर 2022

सेवा में,

Mr Laxman Kumar Rana,

DÉCOR WOOD,

House No 32, Lane No 5, Bank Colony, Kokar, Ranchi, Jharkhand-834001.

विषय:- मौजा-कोकर, प्लाट नं0-Industrial Plot No 10; Survey Plot No. 942P, खाता नं0-38, वार्ड नं0-N/A, थाना-38, जिला-राँची में प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह ।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आड़े हाउस, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-531 दिनांक-17.11.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित फ़ैक्ट्री भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 15,000 हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस ओभरहेड वाटर टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फ़ैक्ट्री भवन के मुख्य स्टेयरकेस लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30-30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा एक-एक अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. फ़ैक्ट्री में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 150mm डायामेटर वाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा एक-एक अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. फ़ैक्ट्री भवन के कार्यालय एवं स्टोर भवन को Smoke Detection System से सुरक्षित किया जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में एक शक्तिशाली पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. इन पम्प को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
8. फ़ैक्ट्री के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
9. फ़ैक्ट्री की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
10. फ़ैक्ट्री परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
 - iii. Form Extinguisher 09 Ltr - 01 Nos.
 - vi. Fire Beater - 02
 - v. Fire Hook - 02
11. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले एक-एक अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Auto Modular Fire Extinguisher एवं रबड़ मैट से सुरक्षित किया जाय एवं मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

13. फ़ैक्ट्री के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
14. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. फ़ैक्ट्री में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
16. फ़ैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में फ़ैक्ट्री भवन में ट्रेवल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक न हो।
17. फ़ैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फ़ैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
18. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
19. फ़ैक्ट्री के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।